ned, they were not very much interested, but when I approached them they said they were very much interested about restoration of the remaining period of 30 rebate days. What exactly is the stage at which the matter stands? About extending the period from 30 to 60 days, would you kindly give a specific answer on the floor of Parliament?

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: The hon. Member probably thinks that he has to reinforce the request made by the hon. lady Member in order to make it acceptable to us, but I do not agree with the situation. I would only repeat what I said earlier, that we are considering this issue we will take a positive view of things, try to raise it and take a decision very soon.

DR. SHANTI G. PATEL: I would like to point out to the hon. Minister that yesterday in the debate one very important point was raised as to how this handloom sector is to be protected. He has referred to it, of course. It was pointed out that unless constraints are placed on the capacity of the power loom sector and the mill sector, it is not possible to protect the handloom sector. No reply has been given to this point. The second point that was raised was with regard to the various so-called facilities to be made available. Madam, in this connection I would only like to refer to what the then Minister in-charge of Textiles had said while discussing the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Bill:—

"I agree that unless and until we can ensure regular supplies of yarn at a reasonable price to the handloom weavers and until and unless we can move towards modernisation of the looms, it will not be possible to bring down the cost of production; and unless we bring down the cost of production, it would be difficult to market it and it would not be poss'ble to compete with the other two sectors. Marketing is a real problem for the handlooms. ...."

Madam, I do not want to go into it further, but I would like to request the Minister to enlighten us on this point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister gave a very long reply. .. (*Interruptions*).... We shall now take up the Statutory Resolution of Shri Ashwani Kumar and the Terrorist and Disruptive Activites (Prevention) Amendment Bill. 1985. Shri Ashwani Kumar.

I. STATUTORY RESOLUTION (SEEKING DISAPPROVAL OF THE TERRORIST AND DISRUPTIVE ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT ORDINANCE, 1985

II. THE TERRORIST AND DISRUPTIVE ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 1985

SHRI ASHWANI KUMAR (Bihar): Madam, I beg to move the followin Resolution:—

"That this House disapproves of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Ordinance, 1985 (No. 4 of 1985) promulgated by the President on the 5th June, 1985."....

माननीय उपसभापति महोदया, मैंने इस अध्यादेश का विरोध किया है। सदैव से परम्परा रही है कि अध्यादेश जितने कम हों, अच्छा है। परन्तु इस के बारे में एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अध्यादेश के द्वारा जो कानून आपने लागू किया है यह कानून आपने 4 जून को लागू किया है, और अभी मई मास में दिल्ली में दुर्घटना होने के बाद हमने यह कानून सरकार के आग्रह पर दोनों सदनों ने पास किया, आपको शक्ति दी कि आप उग्रवादियों से लड़ सकें। परन्तु उस समय यह कानून धारा 370 के चलते कश्मीर पर लागू नहीं हुआ, जो आज आप लागू कर रहे हैं वहां की सहमति प्राप्त करके।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, उपसभापति महोदया, कि क्या सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि यह धारा 370 को आज जो विशेष

[श्री अश्विनी कुमार]

दर्जा है, वह कब तक रखना चाहती है? क्योंकि जिस समय यह विशेष दर्जा दिया गया, उस समय भी यह धारणा थी और उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कुछ समय के लिए यह विशेष दर्जा है और आज भी यह विशेष दर्जा है, जिसके कारण दुबारा हमको यह कानून बनाना पड़ रहा है। उनकी सहमति लेकर बनाना पड़ रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, इससे पहले भी उनकी सहमति लेकर बना सकते थे, परन्तु इस धारा 370 को जो विशप दर्जा है, यह अब आप कब तक रखना चाहते हैं? इसके ऊपर क्या सरकार विचार करेगी देश की अखंडता, एकता सामग्र देश के बारे में विचार करते हुए आज मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आज पंजाब के अंदर जो एक वर्ग-विशेष अलगाववाद की बात कर रहा है, खालिस्तान की बात कर रहा है, देश से दूर होने की बात कर रहा है और उसके दिमाग में कहीं यह तो नहीं छिपा कि अगर कश्मीर को अलग दर्जा है, तो मुझे अलग दर्जा क्यों नहीं मिलता, हर प्रांत को अलग दर्जा क्यों नहीं मिलता है, यह भावना कहीं छिपी तो नहीं है? इस पर जरा विचार करके देखिये। और इसी प्रकार की भावना से आपने नागालैंड मिजोरम बना दिया, पर अभी मिजोरम समस्या शांत नहीं हुई है। अभी भी लालडेंगा दिल्ली में आए हुए थे, प्रधान मंत्री से लेकर नीचे अधिकारियों तक चर्चा चल रही है और उनकी चर्चा से जो मुझे को भावना प्राप्त होती है, उनकी भी इच्छा है कि मिजोरम को एक खास दर्जा दिया जाए। तो एक बार खास दर्जे की जो परम्परा परिस्थिति-विशेष में चालू हो गई, उसको सरकार कब तक चालू रखना चाहती है? यह सरकार के सामने विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि यह विशेष दर्जा ऐसे ही बनाये रखना और चलने दिया जाए, तो शायद देश की अखंडता, एकता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जैसा कि पंजाब में यह बाधा उत्पन्न होकर आज हमारे सामने खड़ी है।

1980 में पंजाब समस्या नाम की कोई समस्या नहीं थी और पिछले पांच वर्षों में हमने जो भयानक पंजाब का उग्रवाद देखा, लोग मरते देखे, निरीह प्राणी मरते देखे, केवल पंजाब में नहीं, दिल्ली में नही, देश के अन्य-अन्य कोनों में भी जो रक्तपात हुआ, साधारणजन, निरीह प्राणी मारे गये, इसके पीछ जो भावनाएं हैं मैं उन भावनाओं की ओर आपका आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन पर विचार करे।

सरकार कानून मांगती है। सदन में उनको कानून दिये जाते हैं। पंजाब के बारे में आप कितने कानून पास करवा चुके हैं दोनों सदनों से—आठ कानून आपके शस्त्रागार में हैं। आठों कानून सब जानते है, मैं समय नहीं लेता उनको गिनवाने में, पर क्या कानून मात्र से आप समस्या का निदान कर सके हैं पंजाब का?

इतने कानून आपके पास हैं कि आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके दस महीने और तीन सप्ताह बिना उसको कहीं भी जमानत के रख सकते हैं। रात को किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसको पकड़ते हैं, इसका जवाब देने की आपको दस महीने और तीन सप्ताह तक कोई जरुरत नहीं है। परन्तु क्या इतने अधिक अधिकारों के बावजूद पंजाब की समस्या इन अधिकारों से निपट पाई?

मुझे ऐसा लगता है कि नहीं और जो आपने कानून बनाया है, यह कानून जो बना सारे देश के लिए टेरोरिस्ट एक्ट, इसके तहत आपने कोर्ट्स बनाने की व्यवस्था की, डेज़िगनेटेड कोर्ट्स आपने सारे देश के अंदर—हरियाणा में चार, पंजाब में चार, उत्तर प्रदेश में तीन—चौदह कोर्ट्स बनाये और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन सरकारी कोर्ट्स में कुल 33 मुकदमें दर्ज हुए। इसका अर्थ यह है कि सारी शक्ति लेने के बाद भी इसके उपयोग का बहुत बड़ा साधन नहीं था।

मैं मंत्री से जानना चाहुगा कि ये 13 मुकदमें जो पकड़े गए इनमें से कितने उग्र-

वादी हैं, इनमें से किनको सजा हुई और किनको सजा नहीं हुई इसकी क्या स्थिति है? क्या कुछ निर्दोष लोगों को पकड़कर छोड़ दिया गया? आज देश के हित में बहुत अच्छा है कि एक समझौता हुआ है और देश ने शांति की सांस ली है। पंजाब का समझौता होने से देश में कुछ शांति हुई है। परन्तु इसके साथ कानून के प्रश्न जुड़े हुए हैं। पंजाब में आपने हजारों लोगों को पकड़ा पिछले दो वर्षों के अन्दर और समझौते के बाद उन्हें छोड़ना शुरू किया। अच्छी बात थी। परन्तु मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब कानूनी शक्ति हम आपको देते हैं, आपको एब्सोल्यूट पावर देते हैं, हालांकि यह नियम है कि पुलिस ने कितना इसका दुरूपयोग किया है, इस घटनाओं की खबरें समाचार—पत्रों में छपती हैं। स्कूल के जवान लड़के गांवों में घेर लिए जाते थे उनको पकड़ लिया जाता था और जेल में ले जया जाता था। वहां पर उन पर अत्याचार होते थे। मैं आपको बताता हूं भूतपूर्व विदेश मंत्री और बहुत दिनों तक सरकार के रहे हुए वरिष्ठ सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह का कहना है।

I quote from India Today dt. June 30, 1985; Even former Foreign Minister Swaran Singh, a perceptive observer of the Punjab scene, says that "70 per cent or more of the arrest youth in Punjab are absolutely innocent. Still they are made to go through the police grinder". And he is not a man given to hyperbole. "If this process, which has created the present mood among the boys is reversed, the accruals to the numbers of terrorists will stop."

सरदार स्वर्ण सिंह कहते हैं कि शक्ति का दुरूपयोग हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 30 जून का जो "इंडिया टूडे" है, उसमें पूरा आर्टिकल, वह आप स्वयं देखें क्योंकि मैं यह पूरा कोट नहीं कर सकता। आगे स्वर्ण सिंह ने कहा कि,

> "Once an innocent person suffers at the hands of the police, the germs of terrorist is born in his mind even if it was not there before."

इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शक्ति आज लेते हैं क्या उससे समझौता पंजाब का हो सकता है? जम्मू काश्मीर में कोई उग्रवादी अगर है, आप कानून मांगते हैं और आप कहेंगे कि कानून नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकते? आप कानून लीजिए और उन उग्रवादियों को पकड़िए इसमें कोई अपराध नहीं है। परन्तु जो मौलिक बात है वह कुछ और है। बहुत से लोगों को आपने आतंकवादियों के नाम पर पकड़ा है। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाओं की खबरें पंजाब के अखबारों में आ रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने किनको पकड़ा है और किनको छोड़ा है इनकी सारी सूची आप दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं लग रहा है, उनके घर वालों को पता नहीं लग रहा है कि वे कहां गए और किस हालत में हैं, उनके बारे में आप बताइये? आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको पकड़ा गया उनकी सूची आप प्रकाशित करें और जिनको छोड़ा गया उनकी सूची भी आप प्रकाशित करें, जिससे पता तो लगे कि उनका क्या हुआ और वे कहां चले गए? अभी तक सरकार ने उस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और जो लोग जेल में हैं उनके ऊपर ठीक से मुकदमें चलाए जाएं। मेरा यह कहना है और मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो कानून है आई.पी.सी. है इसमें पर्याप्त शक्ति आपको दी हुई है। परन्तु जब आपने इधर पिछले जून के बाद से वहां सेना भी भेज दी है और इस प्रश्न पर कितनी बार सदन में चर्चा भी हो चुकी है। अभी प्रश्नोत्तरकाल में बताया गया कि पिछले एक वर्ष में 12 राज्यों में आपको सेना भेजनी पड़ी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कब तक सेना आप पंजाब में रखना चाहते हैं? कब तक इसे पुलिसिंग के काम में लगाया जाएगा और क्या इस काम से सेना में भी वहीं दुर्गुण पैदा नहीं हो जायेंगे जो कि आज पुलिस में हैं? क्या वे भी घुसखोर और भ्रष्टाचारी नहीं हो जायेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सेना को शीघ्रताशीघ्र वहां से वापस करे और उसे पुलिसिंग के काम में नहीं लगाए। और किसी तीसरी फोर्स लगाना चाहे तो लगाएं लेकिन सेना को

[श्री अश्विनी कुमार]

वापस बुलाया जाए। सेना को ट्रेनिंग है देश की रक्षा करने की और दुश्मन पर आक्रमण करने की उसे घर-घर में जाकर लोगों को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं है। इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सेना जितनी जल्दी वहां से अलग करेंगे उतना ही अच्छा है और वहा पर सेना बहुत दिनों से बैठी है, इसलिए उसके अन्दर भी भ्रष्टाचार के लक्षण आते चले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह इसकी तहकीकात करे और सेना को वहां से वापस बुलाए। इस संबंध में एक चीज और आपके सामने कहना है। पिछले दो-तीन वर्षो में पंजाब में जितनी घटनाए हुई चाहे वह ब्लू-स्टार हो कहा गया कि गुरुद्वारे में क्या-क्या शस्त्रास्त्र आ गए, हमको पता नहीं था, हमारी इण्टेलीजेन्स फेल्योर है। मेरी आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से राज्यगृह मंत्री यहां बैठे हैं, मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि जो बार-बार कहा जाता है कि हमारी इण्टलीजेन्स फेल्योर है, यह हमारी इण्टेलीजेन्स की सर्विसेज अच्छी नहीं है, मगर जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, हमारी इण्टेलीजेन्स दुनिया में सबसे अच्छी है अवर इण्टेलिजेन्स इज द बेस्ट आफ दी वर्ल्ड और जब आप कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो मेरा इससे मतभेद है? किसको पता नहीं था कि गुरुद्वारे के अंदर, हरमंदिर साहब के अंदर क्या-क्या नहीं रखा हुआ है, यह अखबारों में छपा है और जो उस समय पंजाब के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी थे मैं नाम तो मैं नही लूगा उन्होंने यह आज्ञा दी थी कि गुरुद्वारे के भण्डारे के लिए जो आटा, दाल, चावल के ट्रक जाते हैं, उनकी जांच नहीं की जाएगी आज पता नहीं, वह अधिकारी कहा है? रोज नाम सुनते थे उनका और ट्रकों को जाने दिया गया है। पंजाब का गुरुद्वारा हरमंदिर साहब ऐसा था, जहां हजारों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे, जहां उन्होंने पत्थर के अंदर से लाइन काटी थी, बंकर बनाए थे, बोरिया रखी थी, क्या यह किसी से छिपा था? उसके बाद भी कहा जाता है इण्टेलीजेन्स ने हमें सप्लाई नहीं किया। इण्टेलीजन्स डिपार्टमेंट ऐसा है, जो बोल नहीं सकता, सफाई नहीं दे सकता, पुलिस की तो यूनियन होती है, वह बोल सकती है, लेकिन इण्टेलीजेन्स वाले बोल नहीं सकते, छिपे रहते हैं, इसलिए सारा घड़ा उनके सिर पर फोड़ते जायें, यह ठीक नहीं है?

आप यह कहते जायें कि इण्टेलीजेन्स नहीं है, इण्टेलिजेंस नही है, ऐसी बात नहीं है मेरा आपसे आग्रह है कि देश की रक्षा की दृष्टि से, विदेशी रक्षा की दृष्टि से इण्टेलीजेन्स व्यवस्था को और अच्छा बनाए। इसमें दो मत नही है। लेकिन हमारी सभी विफलताओं के लिए, पोलीटिकल फैल्योर के लिए सारा दोष इटेलीजेन्स पर न थोपें (समय की घंटी)

दो मिनिट और लूंगा उपाध्यक्ष महोदया। अन्त में आज जो पंजाब की स्थिति सुधरी है, यह कानूनो के आधार पर नहीं, बल्कि बातचीत से सुधरी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि देश के अन्दर अगर कोई प्रजातांत्रिक समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे प्रजातांत्रिक ढंग से बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करें। पंजाब में आपने बातचीत की। यही बातचीत से जो समझौता हुआ है, दो साल पहले हो सकता था या नहीं हो सकता था, यह विवाद का विषय है। लेकिन यह कानून की शक्ति ने नही हो सका और बातचीत से हो गया।

अब आज कश्मीर पर कानून लागू किया जा रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज कश्मीर में जो एक बोयलिंग-सिचुएशन खडी हो रही है, वहां ऐसी सरकार बन रही है, जिनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। वहां इस प्रकार से भावनाएं भड़क रही है, जिससे उग्रवाद निकल सकता है। तो आज प्रजातंत्र के इतिहास के अनुसार कश्मीर में स्थिति को ठीक करने के लिए, जिनके पीछे वहां जनमत है, उनसे बातचीत करें, जिनके ऊपर थोपा गया है जनमत, उनसे नहीं बल्कि जिनके

पीछे जनमत है, उनसे बातचीत करें और बातचीत करके निदान निकालें। अगर इस बातचीत में विलम्ब किया जाएगा, तो स्थिति बिगड़ सकती है। यद्यपि पंजाब में विलंब हुआ इसका सारा दोष सरकार पर नहीं है, अकालीदल पर भी है, लेकिन आज कश्मीर में स्थिति के निदान के लिए अगर सरकार बातचीत में आगे बढ़ती है, उससे जरूर लाभ होगा और यह स्थिति भी सुधरेगी।

अन्त में, अभी आपने बातचीत करके आनन्दपुर साहब रेजोलूशन को सरकारिया कमीशन को सौंपने का तय किया है। मैं इतना ही निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान सरकार ने हमारे ऊपर, विरोधी दलों पर यह आरोप लगाया था कि आनन्दपुर-साहब के ये समर्थक हैं और आनन्दपुर-साहब रेजोलूशन देशद्रोही है। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि राजनीति के अन्दर देश की अखण्डता, देश-भक्ति इत्यादि के जो प्रश्न हैं, उनको चुनावी मुद्दा न बनाया जाये, तो ज्यादा अच्छा है। किसी की देश-भक्ति को चुनौती न दी जाए। यह आपने गलत किया था। चुनाव में आपको और बहुत कुछ कहने को है और हमको भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन यह सीमा बांध दीजिए कि यह देशभक्ति का प्रश्न है, देश की अखण्डता का प्रश्न है, उसको विवाद का विषय नहीं बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो कुछ हुआ था, ठीक नहीं हुआ था—(घंटी)

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आप कानून आगे इस ढंग से बना रहे हैं, तो कानून से नहीं बल्कि बातचीत से सारी समस्या का निदान हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: How much time will you take for this? At 1.30 we will adjourn for lunch.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS AND HOME AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Madam, I will first make the opening statement and later on, while giving the final reply, I will try to meet the points which have been raised by the Hon'ble Members. Madam, I beg to move:

"That the Bill of amend the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985, was enacted by Parliament to make a special provision for the prevention of, and for coping with, terrorist and disruptive activities. As hon. Members are aware, this Act was legislated in the immediate background of escalation of terrorist activities in many parts of the country in May 1985. In spite of pressing need for making the provisions of the Act applicable *in toto* to the State of Jammu and Kashmir also, a provision had to be included in the Act for qualified also application of the provisions of the Act to that State in view of the limitations on the competence of Parliament under the constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 as then in force. When this provision was considered in Parliament, there was a demand that the Act should be made applicable *in toto* to the State of Jammu and Kashmir. Some hon. Members brought even an amendment in this connection. An assurance had been given by the Law Minister on behalf of the Government that steps would be taken for securing the application of the Act *in toto* to that State as early as possible. Accordingly, soon after the passing of the Act, the matter was taken up with the Government of Jammu and Kashmir and with the concurrence of that Government, a Presidential Order making the necessary amendments to the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 was issued on the 4th June. 1985. In view of the urgency of the matter, the President promulgated on the 5th June, 1985, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Ordinance, 1985 to secure

[Shri Arif Mohd. Khan]

the full application of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 to the State of Jammu and Kashmir.

The Bill is to replace the Ordinance to secure the full application of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 to the State of Jammu and Kashmir. I commend the Bill to the hon. House.

The questions were proposed.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Madam, I will be very brief because I do not want to stay late in the night and quarrel with you and the hon. Minister of State for Parliamentary Affairs.

Madam, in my opinion, not only this amendment Bill but even the principal Act itself is an unwarranted one. This amendment Bill is only intended to extend the provisions of the Act to the State of Jammu and Kashmir. Even at the time of the discussion of the original Bill in the House, my party expressed our concern, our reservation and objection to that Bill.

There is no dispute that acts of terrorism must be wiped out. But my point is that you cannot contain acts of terrorism and terrorist activities through such legislative measures. The original Bill was passed in a Particular background, that is, when terrorist activities throughout the country, especially in North India, were on the increase. It was political terrorism. But even after the passing and implementation of this Act, the Government failed to contain terrorist activities, at least in the Capital city of this country. So the answer to political terrorism is a political settlement, not through administrative measures or by acquiring more and more powers in the hands of the Government. For example, I would like to point out that using this particular Act you had arrested hundreds and thousands of people from Punjab and its neighbouring States. At that time you considered detention of those people as a must. But the Government has now released almost all those who were arrested under this Act after coming to an agreement on Punjab with the Akalis. What does this show? My point is that through administrative and armed measures you cannot contain political terrorism. The only answer to political terrorism is a political settlement on political issues. That is why I say this type of a legislation is not an answer to political terrorism. It can be only through, strengthening political consciousness and awareness on the part of the people and the approach of the Government to settle it in a political way. This is my political point. The origin of political terrorism itself stemmed from the political instability and discontentment among the people. Political instability and discontentement among the people is the breeding pond of political terrorism. We are now trying to treat the symptom, that is, the terrorist activity. But where is the disease? The real disease which we have to treat is the political instability and discontentment among the people. This we can do only through a political approach.

We are now discussing the need for extending this Act to Jammu and Kashmir. I do agree that nowadays in Jammu and Kashmir, especially in the Kashmir Valley terrorism is on the increase. No doubt, Pakistan is openly abetting and encouraging the terrorist and divisive forces in Kashmir with a view to dismembering and destabilizing our country. While we are condemning our neighbouring country for encouraging these terrorist and divisive forces in the Kashmir Valley, what are we doing ourselves? We should also make some self-introspection. What are we doing? We are inviting chances to encourage the divsive forces in Kashmir through political crisis and by creating

discontentment among the people (*Time bell rings*. We are encouraging terrorists and disruptive elements through a destabilized political atmosphere and encouraging discontentment among the people.

The present Jammu and Kashmir Government is not a Government of the people of the State. It is only a puppot in the hands of the ruling party at the Centre. They are not at all representing the people of Jammu and Kashmir. It is through blatant defection you have made a puppet Government in Jammu and Kashmir. It is because of this political activity, the political instability in the Kashmir Valley in the State of Jammu and Kashmir, and discontentment among the people, are on the high. In this atmosphere it is quite natural that divisive forces and terrorist elements become very active and do their acts very smoothly. So, by merely extending this Act to Jammu and Kashmir you cannot contain terrorism there.

Not only that. If you are going to give wide powers through this Act to the irresponsible Government of Jammu and Kashmir, these who are not representing the people of Jammu and Kashmir, my apprehension is that Jammu and Kashmir, those who are earnest and honest in your intentions to contain the terrorist activities in Jammu and Kashmir and other places in the country, the first thing that you have to do, to maintain political stability in the country, to find a political solution for the discontent among the people. As far as Jammu and Kashmir is concern, my party is also a victim in the hands of the terrorists and my partymen are being attacked by the Jamaait-e-Islami people.

The present Government cannot maintain law and order in that State because they have no popular support in that State. So, merely by extending this Act to that State you cannot achieve this. Now, I am not going into the question of the Intelligence agencies or the police and my colleagues have already mentioned about them. But my point is that political stability and people's support are a must to contain these terrorist activities and to contain these forces of terrorism. So, my submission to the Minister is that for maintaining law and order, for bringing about peace and tranquility in the State and for containing the terrorist activities in Jammu and Kashmir, you have to do one thing. First, do one thing: Dismiss the Shah Government there or ask Mr. Shah to resign and allow the people there to elect their own representatives.

Madam, I opopse this Bill. Not only am I opposing this Bill, but also am requesting the Minister to withdraw the original Act from the Statute Book. Thank you, Madam

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now. Mr. Kalpnath Rai. Not here.

The House now stands adjourned till 2.30 p.m. today.

The House then adjourn for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Chimanbhai Mehta)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Shri Kalpnath Rai.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस कानून को संसद् के दोनों सदनों ने स्वीकार किया है। अब इस कानून को, दी टेरोरिस्ट एण्ड डिसरप्टिव एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एमेन्डमेंट बिल, 1985 को जम्मू और काश्मीर तक फैलाया जाय, जम्मु-काश्मीर को भी इसके तहत लाया जाय, इस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। आतंकवाद हिंसा या इसी तरह अन्य की चीजों का

[श्री कल्पनाथ राय]

प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता है। देश का यह दुर्भाग्य है कि राजनैतिक मांगों की पूर्ति के लिए देश में ऐसी ताकत उभर रही हैं जो आतंकवाद हथियार और गोला-बारूद का सहारा ले रही है। हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सात समुद्र पार उड़ाकर फेंक दिया। सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चल कर हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। गांधी जी ने हमको सिखाया कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का हल ढूंढा जाना चाहिए। आजादी के बाद इस मुल्क में आतंकवादी ताकतें अपना सिर उठाने लगी। आप जानते हैं कि पंजाब में आतंकवादी ताकतों ने पिछले चार-पांच साल में जन-घाती और राष्ट्र-घाती कदम उठायें। उसका परिणाम देश के लिए कितना भयंकर हुआ मगर मैं इस सदन के मध्यम से देश के नेता श्री राजीव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंजाब की समस्या का निराकरण राजनैतिक ढंग से किया और आज पंजाब में श्री लोंगोवाल और राजीव गांधी जी के समझौते से पूरे देश ने एक राहत की सांस ली है और सारे मुल्क ने इसका स्वागत किया है। हर वर्ग के शांति प्रिय नागरिकों ने, हर बिरादरी के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने इस अकार्ड का स्वागत किया है। यह बड़े हर्ष का विषय होगा जैसे कि सम्भावना है शायद असम की समस्या का भी हल राजीव जी के नेतृत्व में आज या कल में सम्पन्न हो जाय। कल 15 अगस्त को देश की आजादी की वर्षगांठ मनाई जाने वाली है और हमें विश्वास है कि राजीव जी की सूझबूझ से तथा उनकी निष्ठा के कारण असम की समस्या का भी हल निकल जायेगा। आज हमारे सामने सवाल काश्मीर का है। आतंकवाद को रोकने के लिय कानून की धाराओं में परिवर्तन कर जो बिल लाया गया है इसके माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी लेकिन इस समस्या का हल, इसका निराकरण पोलिटिकल साल्यूशन है। राजनैतिक हल ही समस्या का निदान है। बहुत से कानून आतंकवाद को समाप्त करने के लिये बनाये गये हैं। पंजाब स्पेशल कोर्ट बिल, पंजाब एन्टी-टैरेरिस्ट बिल और कितनी ही इंडियन पेनल कोड की धारायें, कितने ही बिल इसके लिये बनाये गये हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए उस हद तक हम टेरेरिस्ट या आतंक को समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि काश्मीर की समस्या का हल भी राजनैतिक हो, उसका पोलिटिकल साल्यूशन हो। काश्मीर एक ऐसा बार्डर स्टेट है जो भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से मिलता है, जिसकी सीमायें इन देशों की सीमाओं को छूती हैं। यह एक बड़ी सैंसटिव बार्डर स्टेट है। काश्मीर की समस्या को हल करने के लिये हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री मीर कासिम साहब से कहा कि आप मुख्य मंत्री पद से हट जायें और शेख अब्दुल्ला को काश्मीर का मुख्य मंत्री बनने दें। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने अपने बहुमत के अधिकार को छोड़ दिया और उस समस्या का हल ढूंढने में लिए शेख अब्दुल्ला को वहां का मुख्य मंत्री बनाया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का वहां बहुमत था और इस पार्टी की वहां हुकूमत थी। लेकिन काश्मीर की समस्या का हल ढूंढने के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी ने मीर कासिम साहब से यह कहा कि आप मुख्य मंत्री पद से हट जायं और वहां की पूरी की पूरी हुकूमत शेख अब्दुल्ला को दे दी और इस तरह से उस वक्त काश्मीर की समस्या का हल निकाला। यह एक बड़ी सही अप्रोच थी। काश्मीर में जो भी सरकार हो उस सरकार के साथ टकराव की राजनीति यदि होगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज भी देश के महान नेता राजीव गांधी इस ओर प्रयत्नशील है और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि काश्मीर की समस्या का हल राजनैतिक दृष्टि से ढूंढा जाना चाहिए। अभी जो फारूख अब्दुल्ला, उनकी मां और राजीव जी के बीच वार्ता हुई है उसका देश के सभी वर्गों ने स्वागत किया है, आम जनता ने इसका स्वागत किया है और उन्हें आशा है कि इस वार्ता से कोई साल्यूशन काश्मीर समस्या का मिलने वाला है। मैं गृह मंत्री जी

जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ... (**व्यवधान**) ...
मैं क्या बोल रहा हूं सुनिये। नहीं तो आप ही बोलिये। मैं बैठ जाऊंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): No cross discussion, please. Mr. Kalpnath Rai, please address the Chair.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिये जो बिल लाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस बिल की जो धारायें है वे जम्मू काश्मीर, पर भी लागू होंगी। पर मैंने यह निवेदन किया कि हमने जिस तरह से पंजाब में पोलिटिकल सलूशन के माध्यम से पंजाब की समस्या का हल ढूंढा है और आतंकवाद करीब-करीब काफी समाप्त हो गया है पंजाब के अंदर जैसे असम की समस्या का हल ढूढ़ने जा रहे हैं। पांच वर्षों तक हमने पुलिस की ताकत से असम को या किसी ताकत से हम उसे नहीं डरा पाये, परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका हल ढूढां। उसी तरह से मेरा यह कहना है कि कश्मीर की समस्या का भी हल राजनीतिक, पोलिटिकल ढंग से ढूढ़ा जाना चाहिए और यह बड़ा भारी कदम फारूख अब्दुल्ला और श्री राजीव गांधी के बीच जो वार्ता हुई है, वह राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत बनाने की दिशा में एक भारी कदम है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं और आतंकवाद का यह कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो और जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग है चाहे विदेशों से आकर आतंकवाद की क्रियाएं करते हों, चाहे पंजाब से आकर वहां ट्रेनिंग लेते हो, या ट्रेनिंग लेकर फिर आतंकवाद फैलाने पंजाब में आते हों, या कश्मीर में आते हो, या देश के विभिन्न भागों में जाते हों, या विदेश से ट्रेनिंग लेकर आते हों, क्योंकि कश्मीर ऐसी स्टेट है जिसकी पाकिस्तान और चीन से सरहदें मिली हुई हैं। विदेश से भी ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में आ सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता, और अखंडता को नष्ट करने के लिए—(समय की घंटी) और हिंदुस्तान के अन्य भागों के आतंकवादी भी कश्मीर मे जा सकते हैं।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : माननीय सदस्य से मेरी विनती है और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर में कोई प्राबलम है क्या ? वहां पर सरकार चलरही है। हां सरकार के मुताल्लिक आपकी राय हो सकती है। यह कोई प्राबलम नहीं है।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल (जम्मू-और कश्मीर) : प्राबलम है और आप अपनी जगह उनसे पूछियेगा। वह बता देंगे कि क्या प्राब लम है।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : यही कश्मीर का प्राबलम है कि.... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Order, order. Please sit down. Please cool down. You will also be given an opportunity to speak. Mr. Mirza has made some observation. Now. let him continue.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए गृह मंत्री जी से मेरी पहले राय यह है कि इस देश में अनलाइसेंस्ड फैक्टरीज पूरे देश में -- देश के अंदर अभी उत्तर प्रदेश में छापे सरकार ने डाले हैं, अनलाइसेंस्ड फैक्टरीज बिहार में देश के भिन्न-भिन्न भागों मे अनलासेंस्ड फैक्टरीज बनी हुई है जहा से हथियार आतंकवादियों को दिये जाते है। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो कोई अनलाइसेंस्ड फैक्टरीज में हथियार बनाये उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हजारों-हजार हथियार आज अनलाइसेंस्ड देश में जो फैक्टरीज बना रहीं है, इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

[श्री कल्प नाथ राय]

आतंकवाद को जड-मूल से समाप्त करने के लिए यह पहली जरूरी चीज है कि इस मुल्क में हथियार अनलाइसेंस्ड जो बनते हैं और जो बार्डर से स्मगलिंग हथियारों की होती है, अभी बंगला देश के बार्डर पर दस हजार रुपये लेकर कोई जाए, तो स्टेन-गन उसको मिल जाएगी --(घंटी) --

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Please conclude now.

श्री कल्पनाथ राय : आज बंगला देश के बार्डर पर, बर्मा के बार्डर पर, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो असामाजिक तत्व है, धनवाद के बतियागंज के लोग वह जाते हैं और दस हजार रुपया दिया और स्टेनगन उनको मिल गई। बिलकुल विदेशों में बने हुए स्टेनगन और बड़े-बड़े हथियार हिन्दुस्तान में आतंकवादियों को, अपराधियों को, एंटि-सोशल एलीमेंटस को जन-घाती, राष्ट्र घाती ताकतों को यह बार्डर पर, नेपाल के बार्डर पर, बंगला देश के बार्डर पर, बर्मा के बार्डर पर उनको मिलते हैं और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी बहुत सी अनलाइसेंस्ड फैक्टरीज को पकड़ा है। तो इन अनलाइसेंस्ड फैक्टरीज से भी हथियार मिलते हैं, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल यह आतंकवादी करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Please conclude.

श्री कल्पनाथ राय: उपसभाध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि जम्मू-कश्मीर की समस्या को अगर समस्या नहीं है, तो फिर हमारे प्रधान मंत्री जी और वहां के मुख्य मंत्री के बीच वार्ता क्यों, और यहां मैं कहना चाहता हूं ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): This is not a relevant issue. Please come to the main point.

श्री कल्प नाथ राय : पंजाब के आतंकवादी जो आज भी पंजाब में हैं वे पंजाब से भाग कर कश्मीर के अंदर जाते हैं और वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और मार-काट तथा खून-खराबे की योजनाएं बनाते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो पाकिस्तान का बार्डर काश्मीर से मिलता है। पाकिस्तान से भी राष्ट्र द्रोही ताकतें स्मगलड हथियारों को लेकर काश्मीर में आते हैं और वे आतंकवाद की घटनाएं करते हैं। चाइना से भी उनको हथियार मिलते हैं। उनके खिलाफ सख्त कानून जो केन्द्र सरकार ने लाया है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करते हैं कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अगर पुलिस पर्सोनल को वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनके लिए सैक्योरिटी स्टाफ को मजबूत नहीं किया गया, तो यह आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। कितने अन-लायसेंसड हथियार पकड़े गए और कितनों के खिलाफ सजाएं हुई? पंजाब में स्पेशल कोर्ट बिल बना है..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Kalpnathji, you have taken more time. Please conclude now. You are repeating the same points.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस आतंकवाद विरोधी बिल का हम समर्थन करते है। इस आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, आतंकवादियों को हथियार कहां से मिलते है उनके श्रोत को नष्ट करने के लिए अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया देशी-विदेशी हथियार जो मिलते हैं उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की गई और जो बार्डर के प्रांत मे देसी-विदेशी हथियार जमा हो रहे है उसके खिलाफ उसको नष्ट करने का प्रयास नहीं किया तो ये आतंकवादी गतिविधियां समाप्त नहीं होंगी। यह बिल बनाकर कैसे उसको समाप्त कर सकते है, यह मामूली बात नहीं है। दिल्ली के अन्दर मैम्बर पार्लियामेंट श्री ललित माकन की हत्या की गई और आज तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नही किए गए। यही नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर के अन्दर की गई। हमारा इंटैलीजेंस सिस्टम क्या है। हमारा 'रॉ' सिस्टम क्या है, क्या इंटैलीजेंस की व्यवस्था है? इससे बड़ी शर्म की बात

और क्या होगी कि देश के प्रधान मंत्री को उनके अपने घर के अन्दर ही पुलिस की गोलियों से उड़ा दिया जाए ?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): The voice of conscience.

श्री कल्पनाथ राय : ताली पीटने की जरूरत नहीं । यह सारे देश का सवाल है । यह जो दिन-दिहाड़े कीर्ति नगर एरिया में हत्या की गई है, वहां पर हजारों लोग चौबीसों घंटे चलते हैं लेकिन फिर भी वहां पर हत्या की गई । तो मैं समझता हूं कि यह कानून आतंकवाद को मिटाने के लिए है और मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों को कहां से हथियार मिलते हैं, दूसरा, उन आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और तीसरे, आतंकवादियों के खिलाफ इंटैलीजेंस सिस्टम को री-आर्गेनाइज करने, री-स्ट्रक्चर करने, सी०आई०डी० सिस्टम को आर्गेनाइजड करने और पुलिस पर्सनल को वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग देना ताकि आतंकवाद की समस्या से हम निपट सकें और जम्मू-काश्मीर में जन-घाती और राष्ट्र-घाती ताकतों को न पनपने दें, इसलिए आज यह कानून लाया गया है और हम इसका समर्थन करते हैं ।

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman. Sir, at the outset, I want to make it perfectly clear that we are totally against terrorism and disruptive activities. But by passing this Bill, we have already passed the Anti-Terrorist Bill and we have seen that even after the passage of that Bill we have not been able to control the terrorist activities.

Sir, what is needed is that the law and order enforcing machinery should be revamped and it should be made thoroughly effective. We have seen that very recently an hon. Member of Parliament, Mr. Lalit Maken, was murdered. Even up till now, we have not been able, the police has not been able to find out the real culprit. We have seen that the law and order machinery in this country has totally collapsed and unless we revamp the law and order maintaining machinery, it is futile to expect that by passing such a Bill we will be able to control the terrorist activites.

We have already got sufficient laws in the country by which these activities can be controlled. Therefore the question is that we have failed to implement the provisions of the existing laws. We are passing laws after laws, providing stringent measures to deal with such persons but we have not been able to control the disruptive and terrorist activities.

Sir, why does the terrorism grow. Why do the youngmen and the youth of the country become terrorist? We have seen that for the fulfilment of genuine demands, for redressal of genuine grievances, while the people launch peaceful movements, the Government is not responsive; they do not care; they want to suppress the peaceful movement. We have seen what they did in Assam; we have seen what they have done in Punjab. Thousands of innocent people were rounded up but no case could be proved against them. They were tortured brutally; inside the jails and lock-up, many of them died as a result of the police torture because the Government wanted to suppress the will of the people and did not try to redress their genuine grievances. Today we have reached an accord with the Akali Dal. Why could we not come to this accord much earlier.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Mr. Goswami, you are allotted five minutes.

SHRI BISWA GOSWAMI: I am concluding. I will not take much of the time of the House.

So, Sir, we could have solved the problem much earlier; we could have come to this accord with the Akali Dal much before and in that case bloodshed would not have taken place. Today we are trying to solve the Assam problems. We hope that Assam problem would be solved. But this problem could have been solved much earlier. In that case, thousands of

[Shri Biswa Goswami]

lives could have been saved. Therefore, the moment a problem arises, unless we come to a political settlement immediately. we antagonise the younger generation; we make them restless and they turn to violent methods and become terrorist, and after that we want to control these terrorist activities by passing these laws.

Therefore, Sir, the passage of this Bill is not sufficient. We have seen the result of this Act. This Bill is only to extend the law to Jammu and Kashmir. That is the only amendment to the original Bill that was passed. But even after we passed the original Bill, terrorist activities have not stopped. Even yesterday, there was a news in the press that one hundred terrorists have crossed the border from Pakistan. Our Border security Force have not been able to detect them or prevent them from entering the country. Our Border Security Force is not able to prevent the infiltrators. That is the situation today. Therefore, I would urge the Government that instead of depending on such Draconian measures, Government should try to solve the grievances of the people, at the correct time so that the situation does not deteriorate and terrorist activities do not grow. Now we want to extend it to Jammu and Kashmir. What is going on in Jammu and Kashmir? We encouraged defection there and a puppet Government was installed. People of Jammu and Kashmir are not satisfied with the present Government. You wanted to suppress Dr. Farooq Abdullah and tried your level best because he is a nationalist Muslim; he wanted to be the leader of India; he did not want to remain confined to the State of Jammu and Kashmir and, therefore, you deposed him. By defections, you installed this puppet Government. You wanted a puppet Ministry in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir will not tolerate the present Government. The present Government is incapable of controlling terrorist activities. Unless the people of Jammu and Kashmir are given a chance to elect a new Government according to their wish, it is futile to expect that Mr. G. M. Shah, the present Chief Minister, puppet Chief Minister, will be able to —by virtue of extension of the provisions of this Act to Jammu and Kashmir— control terrorist activities. Sir, the Central Government wants that Dr. Farooq Abdullah should confine himself to State politics; he should not come on the national scene. This is the main grievance against him. That is why, you want to paint him as a pro-Pakistani. Sir, Dr. Farooq Abdullah is a known nationalist Muslim leader. He wants to be the leader of the whole of India. That is his defect. That is why you wanted to dethrone him and you have dethroned him. I would urge upon the Government to immediately dismiss this puppet Government, which is not supported by the people of Jammu and Kashmir, hold elections and instal a popular Government in Jammu and Kashmir. If you do that, then and then only, you will be able to control terrorist activities in the border State of Jammu and Kashmir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Mr. Gosswami, please conclude. You have exceeded your time-limit.

SHRI BISWA GOSWAMI: I am concluding. Sir, we have seen some terrorist activities in the North-Eastern Region. There also, we did not try to solve the problems of the people in time. We did not try to come to a political settlement. That is why, such activities are increasing there. What I want to say is that, mere passage of this Bill is not going to solve the problem. Instead, I am afraid, the provisions of this Bill may be misused. We have seen that those persons who were arrested in Punjab under this Act have now been released. There were no charges, no specific charges against them. That is why, you had to release them. As

I said, the provisions may be misused by over-zealous Ministers or over-zealous State Governments. What is needed is, we should try to remove the genuine grievances of the people in time so that terorism does not grow and the younger generation, the young people do not become terro-rists. Only by doing this, we will be able to control terrorism.

Secondly, I would urge upon the Government to revamp the law and order enforcing machinery. The law and order enforcing machinery has totally collapsed. The police has failed to detect crime and that is why, crime is increasing. Terrorism is increasing. They are not able to detect the terrorists. They are so incapable that they have not been able to apprehend that murderers of Mr. Lalit Maken; and the people who Committed murders in the past. Earlier, one ambassador was killed. till today, nobody has been apprehended. Therefore, unless you do this, unless you reorganise the law and order machinery, unless you modernise the police force it is futile to have such legislations to combat terrorism, to stop crime.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Now, we will take up the Short Duration Discussion listed for today. The discussion on this Bill will be resumed on Monday, the 19th August.

3.00 P.M.

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE STATEMENT RE. REPORT OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND POLLCY ON "ASPECTS OF THE BLACK ECONOMY IN INDIA"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): Shri Hukmdeo Narayan Yadav. You are given 7 minutes. We have to finish the discussion within the time allotted by the Business Advisory Committee.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके सम्बन्ध में अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसको आधार मानकर हम उस पर बहस करने जा रहे है।

श्रीमन्, इससे पहले भी काले धन को रोकने के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए और कई आयोग बनाए गए। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी। लेकिन मैं सीधे कहना चहता हूं कि चाहे कितने ही आयोग बना दीजिए या कितनी ही समितियां बना दीजिए या कितने ही आर्थिक संस्थान बना दीजिए और उनसे प्रतिवेदन मंगा लीजिए, उससे काले धन पर रोक नही लग सकती। काले धन पर रोक लगाने के लिए हमें मजबूत संकल्प चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। मैं सीधे कहना चाहूंगा कि काले धन की उत्पत्ति कहां होती है? जब तक आप उसकी उत्पत्ति को रोकेंगे नहीं, तब तक उसके विस्तार को भी नहीं रोक सकते हैं। मगर आज यह दुर्भाग्य है इस देश में कि जो काले धन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो काले धन की गंगोत्री है, उस पर कभी विचार नहीं किया गया। काले धन की उत्पत्ति होती है राजनीति से। काले धन को संरक्षण मिलता है राजनीति से। काले धन का प्रचार व प्रसार होता है राजनीति से किन्तु। इस राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए हिन्दुस्तान में कुछ नही किया जा रहा है। जब तक राजनीति मे काले धन का वर्चस्व रहेगा तब तक हिन्दुस्तान में काले धन को रोकना असम्भव है। काले धन को रोकने की बात करना व्यर्थ है, उसकी चर्चा करके हम सदन का समय बरबाद करते हैं लेकिन काला धन रोक नहीं पाते। वह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि चुनाव में कितना काला धन खर्च होता है। हम एक न एक राजनीतिक दल के सदस्य है, हम अपनी रिटर्न में कभी सच्चे आंकड़े नहीं भरते। जनप्रतिनिधित्व कानून में जो हमें धन खर्च करने का अधिकार होता है क्या हम उतना ही धन खर्च करते है या जितना खर्च करते हैं क्या उसका हम रिटर्न देते हैं? क्या हम रिर्टन देते है कि जो पैसा खर्च होता है वह कहां से आया? क्या इससे काले धन का जैनरेशन नहीं होता है? वह पैसा आता कहां से है, वह खर्चा कहां